



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2156]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2019/आषाढ़ 14, 1941

No. 2156]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2019/ASHADHA 14, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 2019

का.आ. 2378(अ).—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थापित एक बोर्ड, 'छत्तीसगढ़ बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड (पैन AAALC0598F) को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ उस बोर्ड को होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, नामतः:-

- (क) श्रमिक कल्याण उपकर;
 - (ख) पंजीकरण शुल्क; तथा
 - (ग) उपरोक्त (क) से (ख) पर अर्जित व्याज।
2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि छत्तीसगढ़ बिल्डिंग तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड –
- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;
 - (ख) विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति तथा गतिविधियां पूरे वित्त वर्ष के दौरान अपरिवर्तित रहेगी; तथा
 - (ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा – 4(ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दायर करेगा।
3. यह अधिसूचना कर निर्धारण वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 52 /2019, फा. सं. 300196/42/2018-आईटीए-1]

राजाराजेश्वरी आर, अवर सचिव